अष्टादश बिहार विधान सभा

प्रथम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–03

बुधवार, 03 दिसम्बर, 2025 ई०।

मानमीय अध्यक्ष, डॉ० प्रेम कुमार की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाहन से 12:31 बजे अपराहन तक।

1) माननीय राज्यपाल का संदेश :–

माननीय अध्यक्ष महोदय ने महामहिम राज्यपाल से प्राप्त निम्नलिखित संदेश से सदन को अवगत कराया :–

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आरिफ मोहम्मद खान, बिहार का राज्यपाल, एतद् द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को, दिनांक–03 दिसम्बर, 2025 को 11:30 बजे पूर्वाहन में सम्बोधित करना चाहता हूँ, और विधान सभा मंडल के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल, पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ।"

तदुपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय सभा की अनुमति से माननीय राज्यपाल का स्वागत करने एवं सदन में बुलाने के लिए सदन से बाहर गए। इस दौरान सभा में बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण आए। इसके बाद माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन सदन में हुआ तथा उनके आसन ग्रहन करने के पूर्व राष्ट्रीय धुन बजाया गया।

2) राज्यपाल का अभिभाषण :–

सभा सचिव द्वारा माननीय राज्यपाल से सह समवेत दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित करने हेतु अनुरोध किया गया।

तदुपरांत माननीय राज्यपाल ने दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित किया।

माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण की समाप्ति के बाद पुनः राष्ट्रीय धुन बजाया गया। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सभापति महोदय, बिहार विधान परिषद्, माननीय राज्यपाल महोदय को सदन से बाहर तक विदा करने गए। इस दौरान बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण सदन से वापस गए।

माननीय राज्यपाल महोदय को विदा करने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया।

3) अध्यक्षीय घोषणा :–

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न घोषणा की गयी :–

(i) माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, सदन नेता के रूप में मान्यता प्रदान की गयी।

(ii) श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, स०वि०स० को नेता, विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान की गयी।

4) अध्यासी सदस्यों का मनोनयन :–

माननीय अध्यक्ष महोदय ने अष्टादश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र के लिए निम्नांकित समासदों को अध्यासी सदस्य मनोनित किया :–

(i) श्री राम नारायण मंडल, स०वि०स० (ii) श्री रत्नेश सादा, स०वि०स०

(iii) श्री भाई बिरेंद्र ,स०वि०स० (iv) मो० कमरूल होदा, स०वि०स०

(v) श्रीमती ज्योति देवी, स०वि०स०

5) कार्यमंत्रणा समिति का गठन :–

माननीय अध्यक्ष महोदय ने अष्टादश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र के लिए निम्न प्रकार कार्यमंत्रणा समिति का गठन किया :–

(i)	अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	– सभापति
(ii)	श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री	– सदस्य
(iii)	श्री सम्राट चौधरी ,उप मुख्यमंत्री	– सदस्य
(iv)	श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री	– सदस्य
(v)	श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री, संसदीय कार्य	– सदस्य
(vi)	श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री, उर्जा	– सदस्य
(vii)	श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल	– सदस्य
(viii)	श्री राजू तिवारी, स०वि०स०	– सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

(i) उपाध्यक्ष , बिहार विधान सभा

(ii) श्री श्रवण कुमार , स०वि०स०

(iii) श्री विनोद नारायण झा स०वि०स०

(iv) श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स०वि०स०

(v) श्री अख्तरूल ईमान, स०वि०स०

(vi) श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स०वि०स०

(vii) श्रीमती स्नेहलता, स०वि०स०

(viii) श्री अरूण सिंह, स०वि०स०

(ix) श्री अजय कुमार, स०वि०स०

(x) श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, स०वि०स०

(xi) श्री सतीश कुमार सिंह यादव, स०वि०स०

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

6) सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार आकस्मिकता निधि(संशोधन) अध्यादेश, 2025 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

माननीय प्रभारी मंत्री, विभाग, श्री नितिन नबीन ने राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 एक प्रति को सभा पटल पर रखा गया।

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने बिहार विनियोग (संख्या–2) एवं बिहार विनियोग (संख्या–3) अधिनियम, 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2025–26 में जो खर्च होने की संभावना है,उसके संबंध में, द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री सम्राट चौधरी ने बिहार अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया। माननीय अध्यक्ष की अनुमति से यह चौदह दिनो तक सभा पटल पर रखी रहेगी।

माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2025 की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)अधिनियम, 2006 की धारा–8(3) के तहत बिहार विधान मडंल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2025 की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया। माननीय अध्यक्ष की अनुमति से यह चौदह दिनो तक सभा पटल पर रखी रहेगी।

तत्पश्चात् माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि
"बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिनेट की सदस्यता के लिए बिहार विधान सभा के दस–दस सदस्यों (जिनमें एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जन–जाति एवं तीन अन्य पिछड़े वर्ग के हों), कृषि विश्वविद्यालयों के लिए सात–सात सदस्यों, बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड के लिए दो सदस्यों, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद् के लिए तीन सदस्यों, बिहार भूमि आयोग के लिए पांच सदस्यों, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए दो–दो सदस्यों तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत राज्य स्तरीय समन्वयक समिति के लिए दो सदस्यों का जो निर्वाचन होना है, उनके नियमों को शिथिल करते हुए यह सदन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को उन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए प्राधिकृत करे।"
तदुपरान्त् माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर सदन की सहमति हुई।

तदुपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री, उधोग विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा The Bihar Industrial Area Development Authority (Financial, Service And Technical) Regulations 2007; The IDA (Financial, Service And Technical) Regulations 2007; बिहार उधोग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2007; बिहार उधोग सेवा संवर्ग (संशोधन)नियमावली 2013; बिहार रेशम तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग नियमावली 2015; बिहार उधोग(हस्तकरघा एवं रेशम) क्षेत्रीय लिपिक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2015; बिहार हस्तकरघा तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग नियमावली–2015 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

7) <u>अनुमत विधेयकों के विवरण का सभा पटल पर रखा जाना</u> :–

सभा सचिव द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित एवं माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों का निम्न विवरण सभा पटल पर रखा गया :–

<u>माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण</u> :–

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
(i)	बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक,2025	05.08.2025
(ii)	बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन)विधेयक,2025	06.08.2025
(iii)	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) विधेयक,2025	06.08.2025
(iv)	बिहार कृषि भूमि (गैर– कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन)(संशोधन) विधेयक,2025	06.08.2025
(v)	बिहार भूमिगत पाइप लाइन (भूमि में उपयोग-- कर्ता के अधिकार का अर्जन) (संशोधन) विधेयक,2025	06.08.2025
(vi)	बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2025	07.08.2025
(vii)	बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक,2025	07.08.2025
(viii)	बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा– शर्त) विधेयक,2025	07.08.2025
(ix)	बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक,2025	09.08.2025
(x)	बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025	09.08.2025
(xi)	जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक,2025	14.08.2025

8) शोक प्रकाश:—

माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नांकित जननायकों के निधन पर शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की चिरशांति एवं शोकाकुल परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की:—

(i)स्व0 श्रीचन्द्र सिंह — पूर्व स०वि०स०
(ii)स्व0 शिबू सोरेन — पूर्व स०वि०स०
(iii)स्व0 सत्यपाल मलिक — पूर्व राज्यपाल
(iv) स्व0 हरिनन्दन यादव — पूर्व स०वि०स०
(v) स्व0 राणा गंगेश्वर सिंह — पूर्व स०वि०स०

तदुपरांत सभी सदस्यों ने एक मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की चिरशांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।
माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि शोक संवेदना संबंधित शोकाकुल परिवारों के पास मेरे एवं सदन की ओर से भेज दिए जायें।
तदुपरांत सभा की बैठक दिनांक—04 दिसंबर,2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक—03.12.2025

डॉ० ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।